न्यायालय तहसीलदार बायतु

प्रार्थी

राजस्थान सरकार
पटवारी हल्का हरखाली

बनाम

विप्रार्थी

नरेन्द्रकुमार पुत्र जगदीश
कौम सुथार निवासी बाटाडु

मुकदमा नम्बर 14/2019 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 04.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थी अनुपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हे कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2076 में ग्राम **नया बाटाडु** के खसरा नम्बर **1297/601** बीघा कुल रकबा 53.17 बीघा में से 2000 वर्ग फीट किस्म गैर.मू. गोचर **भूमि पर** अनाधिकृत रूप से काश्त/कब्जा कर लिया गया है। पटवारी हल्का **हरखाली** द्वारा रिपोर्ट पेश की , जिसके आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्राथी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्राथी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिर्पोट का अवलोकन किय है। विप्राथी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्राथी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान 0.10 रू 50 गुणा जुर्माना रू 100/- अखरे एक सौ रूपये मात्र किया जाता है। जो विप्राथी से वसूल हो। विप्राथी को मोके तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का व त.रा.ले. तहसील हाजा आदेश से सूचित हो ,पत्रावली फेसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो । निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 4.12.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार बायतु
जिला बाड़मेर